

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र चवा
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

टीकमाराम पुत्र श्री भानाराम जाति
भील, निवासी-चवा, तहसील एवं
जिला बाड़मेर

1. दीपाराम पुत्र कलाराम जाति
मेघवाल, निवासी-चवा तहसील
व जिला बाड़मेर 2. कलाराम पुत्र
बींजाराम 3. लिछमणाराम पुत्र
बींजाराम 4. सोनाराम पुत्र
बींजाराम जातियान भील,
निवासी-चवा, तहसील व जिला
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-612/2018 दिनांक-22.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा चवा, पटवार मण्डल एवं भू.अ.नि.चवा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 210 रकबा 3.07 बीघा, किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.04 बीघा, किस्म गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 1090/211 रकबा 8.07, किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 11.18 बीघा के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मोके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2021/ 6437 - 6440

दिनांक- 22/11/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चवा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करवाए।
3. प्रार्थी टीकमाराम पुत्र श्री भानाराम जाति भील निवासी चवा, तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी दीपाराम पुत्र कलाराम वगैराह जाति मेघवाल/भील निवासी चवा तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर